

अभिषेक बनर्जी व अन्य

बनाम

प्रवर्तन निदेशालय

(आपराधिक अपील सं. 2221-2222/2023)

09 सितंबर 2024

**[माननीय न्या. सुश्री बेला एम. त्रिवेदी* और माननीय न्या. श्री
सतीश चंद्र शर्मा]**

विचाराधीन मुद्दा

मामला प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अपीलार्थीगण को जारी किए गए समन को रद्द करने की मांग से संबंधित है, जिसमें अभियुक्तगण के खिलाफ कोयले के कथित अवैध उत्खनन और चोरी के संबंध में दर्ज प्राथमिकी से संबंधित दस्तावेजों सहित उन्हें नई दिल्ली में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने हेतु समन किया गया था।

हेडनोट्स

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 - धारा 50 - समन, दस्तावेज प्रस्तुत करने तथा साक्ष्य देने के संबंध में प्राधिकारियों की शक्ति - कोयला क्षेत्र के पट्टाधृत क्षेत्रों में कोयले के कथित अवैध उत्खनन तथा चोरी के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करना - धारा 50 के तहत प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अपीलार्थीगण को बार-बार समन जारी कर मांगे गए दस्तावेजों सहित नई दिल्ली में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने को कहा गया, हालांकि वे उपस्थित नहीं हुए, जबकि अपीलार्थी सं. 1 एक बार उपस्थित हुए

- इस बीच, अपीलार्थी सं. 2 के खिलाफ समन का अनुपालन न करने हेतु ईडी द्वारा शिकायत दर्ज की गई - अपीलार्थीगण द्वारा ईडी द्वारा उन्हें जारी किए गए समन को रद्द करने की मांग करते हुए रिट याचिका और ईडी के खिलाफ आगे निर्देश मांगते हुए कि अपीलार्थीगण को उनके निवास कोलकाता के बजाय नई दिल्ली में उपस्थित होने के लिए कोई समन जारी न किया जाए - अपीलार्थी सं. 2 द्वारा शिकायत को रद्द करने तथा शिकायत का संज्ञान लेने के आदेश, साथ ही समन आदेश की मांग करते हुए विविध मामला भी दायर किया गया है - रिट याचिकाओं और विविध मामले को खारिज करना -चुनौती:

अभिनिर्धारित किया गया: वर्तमान ईसीआईआर मुख्यालय जांच इकाई में दर्ज की गई है, जो किसी भी क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार तक सीमित नहीं है - इसके अलावा, विशेष न्यायालय, पीएमएलए नई दिल्ली के समक्ष अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ दायर शिकायत में ईडी के विशिष्ट मामले के अनुसार, इंस्पेक्टर द्वारा सह-अभियुक्त से अपने राजनीतिक बॉस को देने हेतु कथित रूप से 168 करोड़ रुपये प्राप्त किए गए थे, और उक्त 168 करोड़ रुपये वाउचर के माध्यम से दिल्ली और विदेशों में स्थानांतरित किए गए थे, जिससे स्पष्ट रूप से अपराध और अपराधियों का दिल्ली के क्षेत्र के साथ पर्याप्त संबंध स्थापित होता है - इस प्रकार, ईडी द्वारा जारी समन में कोई अवैधता नहीं है, जिसमें अपीलार्थीगण को दिल्ली स्थित अपने कार्यालय में बुलाया गया है, जिसके पास क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार भी है, अपराध का एक हिस्सा अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा कथित रूप से किया गया है, जैसा कि शिकायत में आरोप लगाया गया है - साथ ही अपीलार्थी सं. 1 संसद

सदस्य होने के नाते दिल्ली में सरकारी आवास भी रखता है - इसको ध्यान में रखते हुए, धारा 50 के तहत अपीलार्थीगण को जारी किए गए समन को अपीलार्थीगण द्वारा दी गई चुनौती में कोई सार नहीं है - इसके अतिरिक्त, यद्यपि अपीलार्थी सं. 2 ने उच्च न्यायालय के समक्ष शिकायत का संज्ञान लेने के आदेश और उसे न्यायालय के समक्ष बुलाने के आदेश को चुनौती दी थी, लेकिन उसने उक्त आदेशों को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की भी जहमत नहीं उठाई - चूंकि उक्त शिकायत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में लंबित है, इसलिए उक्त शिकायत के गुणागुण पर कोई राय/अभिव्यक्त नहीं की गई - संबंधित न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेशों में कोई अवैधता नहीं पाई गई तथा उक्त शिकायत पर उक्त न्यायालय द्वारा विधि के अनुसार आगे कार्यवाही की जानी चाहिए। [पैरा 20-22]

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 - उद्देश्य और दायरा:

अभिनिर्धारित किया गया: पीएमएलए के प्रावधान न केवल धन शोधन के अपराध की जांच करने हेतु हैं, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि धन शोधन को रोकना और धन शोधन से प्राप्त या इसमें शामिल संपत्ति को जब्त करने और उससे जुड़े और उसके आनुषंगिक मामलों के लिए प्रावधान करना है - पीएमएलए एक स्व-निहित संहिता है और इसके अंतर्गत परिकल्पित प्रावधान, इसकी धारा 71 के अनुसार प्रभावी होने चाहिए, जो यह प्रतिपादित करती है कि अधिनियम के प्रावधान, वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून में निहित किसी भी असंगत बात के बावजूद प्रभावी होंगे, जिसमें दं.प्र.सं. के प्रावधान शामिल हैं - धारा 65 में यह प्रावधान है कि दं.प्र.सं. के प्रावधान तब तक

लागू होंगे जब तक वे गिरफ्तारी, तलाशी और अभिग्रहण, कुर्की, जब्ती, अन्वेषण, अभियोजन और अधिनियम के तहत अन्य सभी कार्यवाही के संबंध में पीएमएलए के प्रावधानों से असंगत नहीं हैं - इस प्रकार, पीएमएलए की धारा 71 और धारा 65 तथा दं.प्र.सं. की धारा 4(2) और धारा 5 के संयुक्त वाचन को ध्यान में रखते हुए, पीएमएलए के प्रावधानों का प्रभाव होगा, भले ही दं.प्र.सं. के प्रावधानों सहित वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून में कोई असंगत बात क्यों न हो। [पैरा 13]

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 - के अंतर्गत जांच करने की शक्ति - दं.प्र.सं. के अध्याय XII के प्रावधानों का अनुप्रयोग:

अभिनिर्धारित किया गया: धन शोधन की रोकथाम, अपराध की आय की कुर्की, तथा धन शोधन के अपराध की जांच/अन्वेषण, जिसमें समन जारी करना, बयान दर्ज करना, व्यक्तियों को दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बुलाना आदि शामिल है, से लेकर पीएमएलए की धारा 3 के अंतर्गत अपराध के संबंध में शिकायत दर्ज करने तक की व्यवस्था पूरी तरह से उक्त अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित है -क्षेत्राधिकार वाली पुलिस जो दं.प्र.सं. के अध्याय XII के शासन-पद्धति द्वारा शासित होती है, वह धन शोधन के अपराध को पंजीकृत नहीं कर सकती है, न ही इसकी जांच कर सकती है, क्योंकि अपराध के पंजीकरण और जांच/अन्वेषण के संबंध में पीएमएलए के तहत विशेष प्रक्रिया निर्धारित की गई है, और यह विशेष प्रक्रिया धारा 71 पीएमएलए के अनुसार लागू होनी चाहिए -यह दलील कि दं.प्र.सं. की धारा 160 के दायरे में किसी भी व्यक्ति को समन भेजने का प्रावधान है, चाहे वह व्यक्ति उस अपराध का अभियुक्त हो या केवल

साक्षी, स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि दं.प्र.सं. के अध्याय XII के प्रावधान (जिसके अंतर्गत धारा 160 आती है) धन शोधन अपराध के कमीशन से संबंधित प्राप्त जानकारी से निपटने हेतु सभी मामलों में लागू नहीं होते हैं, खासकर इसकी जांच हेतु लागू नहीं होते हैं। [पैरा 14, 15]

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 - धारा 50 -समन, दस्तावेजों की प्रस्तुति और साक्ष्य देने के संबंध में अधिकारियों की शक्ति -दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 -धारा 160/161 -पुलिस अधिकारी की साक्षीगण की उपस्थिति और पुलिस द्वारा साक्षीगण की जांच की आवश्यकता की शक्ति - पीएमएलए की धारा 50 और दं.प्र.सं. की धारा 160/161 के बीच स्पष्ट असंगतताएं:

अभिनिर्धारित किया गया: इस तथ्य के अतिरिक्त कि धारा 50 लिंग-तटस्थ है, क्योंकि यह पुरुष और महिला के बीच कोई भेद नहीं करती है, पीएमएलए की धारा 50 और दं.प्र.सं. की धारा 160/161 में निहित प्रावधानों के बीच स्पष्ट असंगतताएं हैं - दं.प्र.सं. का अध्याय XII "को इतिला और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियों" से संबंधित है, जिसमें धारा 160 उक्त अध्याय के तहत जांच करने वाले पुलिस अधिकारी को अपने या आस-पास के थाने की सीमाओं के भीतर किसी भी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कहने का अधिकार देता है, जो दी गई जानकारी से या अन्यथा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होता है - जबकि, पीएमएलए की धारा 50 द्वारा परिकल्पित प्रक्रिया अपराध की आय के विरुद्ध जांच की प्रकृति की है और अभियोजन आरंभ करने के लिए शब्द के सख्त अर्थ में "जांच"

नहीं है; और पीएमएलए की धारा 48 में संदर्भित प्राधिकारी पुलिस अधिकारी नहीं हैं - पीएमएलए की धारा 50 के तहत अधिकारियों द्वारा दर्ज किए गए बयान संविधान के अनुच्छेद 20(3) या अनुच्छेद 21 के अंतर्गत नहीं आते हैं, बल्कि जांच के दौरान अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए ऐसे बयान धारा 50(4) के अनुसार न्यायिक कार्यवाही माने जाते हैं, और साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होते हैं, जबकि दं.प्र.सं. के अध्याय XII के तहत जांच के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस अधिकारी को दिए गए बयानों का उपयोग दं.प्र.सं. की धारा 162 के प्रावधान में बताए गए उद्देश्य को छोड़कर किसी भी उद्देश्य हेतु नहीं किया जा सकता है - पीएमएलए की धारा 50 और दं.प्र.सं. की धारा 160/161 के बीच इस तरह की स्पष्ट असंगतियों को देखते हुए, पीएमएलए की धारा 50 के प्रावधान धारा 71 सहित धारा 65 के अनुसार प्रभावी होंगे। [पैरा 16]

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 - धारा 50 - समन, दस्तावेज प्रस्तुत करने तथा साक्ष्य देने के संबंध में प्राधिकारियों की शक्ति - नियम, 2005 के नियम 11 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया - समन अधिकारी द्वारा उसका अनुपालन - आवश्यकता:

अभिनिर्धारित किया गया: नियम 2005 के नियम 11 के अनुसार, समन अधिकारी को उसमें निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा, अर्थात्, उक्त नियमों सहित संलग्न प्रपत्र V में समन जारी करना होगा - निर्धारित प्रपत्र V में समन अधिकारी को न केवल समन अधिकारी का नाम, पदनाम और पता बताना होगा, बल्कि समन किए गए व्यक्तियों का विवरण और उसमें मांगे गए दस्तावेज भी देने होंगे - फॉर्म V के फुटनोट में यह भी

उल्लेख किया गया है कि कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही मानी जाएगी, और यदि समन किया गया व्यक्ति अनुसूची में उल्लिखित साक्ष्य देने में विफल रहता है, तो वह अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगा - इस प्रकार, अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (2) और (3) के अंतर्गत व्यक्ति को बुलाने के लिए 2005 के कानूनी नियमों के अंतर्गत विशिष्ट प्रक्रिया निर्धारित की गई है, पीएमएलए को पीएमएलए की धारा 71 की सहपठित धारा 65 के अंतर्गत दं.प्र.सं. सहित अन्य अधिनियमों पर दिए गए अधिभावी प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, यह संहिता के अंतर्गत निर्धारित किसी भी अन्य प्रक्रिया, विशेषतः दं.प्र.सं. की धारा 160/161 में परिकल्पित प्रक्रिया, तथा संहिता की धारा 91 में परिकल्पित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया पर भी लागू होगी - धन-शोधन निवारण (प्ररूप, तलाशी और अभिग्रहण या फ्रीजिंग तथा न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को कारण और सामग्री अग्रेषित करने का तरीका, अभिलेखों को जब्त करना और अभिरक्षा में रखना तथा प्रतिधारण की अवधि) नियम, 2005। [पैरा 17]

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 - धारा 50 - समन, दस्तावेज प्रस्तुत करने तथा साक्ष्य देने के संबंध में प्राधिकारियों की शक्ति - समन जारी करने के चरण में, संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अंतर्गत व्यक्ति द्वारा संरक्षण का दावा किया जा सकता है:

अभिनिर्धारित किया गया: धारा 50 प्राधिकृत प्राधिकारी को किसी भी ऐसे व्यक्ति को समन जारी करने का अधिकार देती है, जिसकी उपस्थिति वह अधिनियम के तहत कार्यवाही के दौरान

साक्ष्य देने या कोई अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक समझता है, तथा जिस व्यक्ति को इस प्रकार समन किया जाता है, वह व्यक्तिगत रूप से या प्राधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होने के लिए बाध्य है, तथा जिस विषय के बारे में उसकी जांच की जा रही है, उस पर सत्य कथन करने के लिए बाध्य है या उससे धारा 50 की उपधारा (3) के आधार पर अपेक्षित कथन देने तथा दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है - समन जारी करने के चरण में, व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत संरक्षण का दावा नहीं कर सकता है, जो “साक्ष्य देने की बाध्यता” नहीं है - अपराध से अर्जित संपत्ति के संबंध में प्रासंगिक तथ्यों की जांच के उद्देश्य से किसी व्यक्ति का बयान दर्ज करने की स्थिति में, अभियोजन हेतु जांच नहीं की जाती है- प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा की गई जांच में साक्षीगण को भी समन जारी किया जा सकता है - साक्ष्य अधिनियम की धारा 20(3) या धारा 25 के परिणाम तभी लागू हो सकते हैं जब ऐसे व्यक्ति की संलिप्तता का पता चले और ईडी अधिकारी द्वारा औपचारिक गिरफ्तारी के बाद उसका बयान दर्ज किया जाए। [पैरा 19]

उद्धृत निर्णयज विधि

विजय मदनलाल चौधरी व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य [2022] 6 एससीआर 382 : (2022) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 929- निर्भरता रखी गयी।

राणा अय्यूब बनाम प्रवर्तन निदेशालय [2023] 3 एससीआर 892 : (2023) 4 एस. सी. सी. 357 - संदर्भित किया गया

अधिनियमों की सूची

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002; धन शोधन की रोकथाम (प्ररूप, तलाशी और अभिग्रहण या फ्रीजिंग तथा न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को कारण और सामग्री अग्रेषित करने का तरीका, अभिलेखों को परिबद्ध करना और अभिरक्षा में रखना तथा प्रतिधारण की अवधि) नियम, 2005; दंड संहिता 1860; भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; भारत का संविधान। प्ररूप, तलाशी और अभिग्रहण या फ्रीजिंग

मुख्य शब्दों की सूची

समन को रद्द करना; प्रवर्तन निदेशालय; व्यक्तिगत उपस्थिति; अवैध उत्खनन और कोयले की चोरी; क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार; धन शोधन का अपराध; धन शोधन को रोकना; संपत्ति का अधिहरण; दंडोन्मुक्ति; गिरफ्तारी; तलाशी और अभिग्रहण; कुर्की; अन्वेषण; साक्षीगण की उपस्थिति; पुलिस द्वारा साक्षीगण की जांच; पुलिस को इतिला और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियां; न्यायिक कार्यवाही; गवाही की मजबूरी; विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया।

निम्नलिखित से उत्पन्न मामला

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील सं. 2221-2222/2023

रि.या.आप. सं. 1808/2021 और आप.वि.वा. सं. 2442/2021 में दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के दिनांक 11.03.2022 के निर्णय एवं आदेश से।

पक्षकारगण के प्रस्तुतकर्ता

तुषार मेहता, एस.जी., सूर्यप्रकाश वी. राजू, ए.एस.जी., कपिल सिब्बल, गोपाल शंकरनारायणन, डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, वरिष्ठ अधिवक्ता,

मुकेश कुमार मरोरिया, अदित पुजारी, अमित भंडारी, सुश्री अपराजिता जामवाल, सुश्री अर्शिया घोष, विश्वजीत सिंह भट्टी, सुश्री शुभांगी पांडे, उदयादित्य बनर्जी, जोहेब हुसैन, अन्नम वेंकटेश, गुंटूर प्रमोद कुमार, ए. के. पांडा, रजत नायर, सुश्री निशा बागची, हरीश पांडे, सुश्री आकृति मिश्रा, अरविंद कुमार शर्मा, संचित गर्ग, माधव गुप्ता, शाश्वत जैसवाल, सुश्री आस्था शर्मा, निपुण सक्सेना, संजीव कौशिक, उपस्थित पक्षकारगण हेतु अधिवक्तागण।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

न्या. बेला एम. त्रिवेदी

1. ये दोनों अपीलें दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11.03.2022 को पारित सामान्य आक्षेपित आदेश से उत्पन्न हुई हैं, जो अपीलार्थीगण (मूल याचीगण) द्वारा दायर रि.या. (आप.) सं. 1808/2021 और आप.वि.वा. सं. 2442/2021 में पारित किया गया था, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया था।
2. रिट याचिका (आप.) सं. 1808/2021 अपीलार्थीगण- अभिषेक बनर्जी और रुजिरा बनर्जी द्वारा दायर की गई थी, जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (जिसे आगे “पीएमएलए” कहा जाएगा) की धारा 50 के तहत प्रत्यर्थी -ईडी द्वारा उन्हें जारी किए गए दिनांक 10.09.2021 के समन को रद्द करने की मांग की गई थी, और प्रत्यर्थी के खिलाफ आगे निर्देश मांगा गया था कि वह अपीलार्थीगण को उनके निवास स्थान अर्थात् कोलकाता के बजाय नई दिल्ली में उपस्थित होने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 50 के तहत कोई समन जारी न करें। अपीलार्थी - रुजिरा बनर्जी द्वारा आप.वि.वा. सं. 2442/2021 दायर की गई थी,

जिसमें भारतीय दंड संहिता (भा.दं.सं.) की धारा 174 के तहत अपराध के लिए प्रत्यर्थी -ईडी द्वारा उनके खिलाफ दायर दिनांक 13.09.2021 की शिकायत को रद्द करने की मांग की गई थी, और मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (सीएमएम), पटियाला हाउस, नई दिल्ली द्वारा शिकायत का संज्ञान लेते हुए दिनांक 18.09.2021 को पारित आदेश को रद्द करने हेतु, साथ ही उक्त न्यायालय द्वारा उन्हें समन करने का दिनांक 30.09.2021 का आदेश भी रद्द करने की मांग की गई थी।

3. संक्षेप में तथ्य यह है कि सीबीआई, एसीबी, कोलकाता द्वारा 27.11.2020 को भा.दं.सं. की धारा 120ख और 409 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (जिसे आगे पीसी अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 13(2) की सहपठित 13(1)(क) के तहत अपराधों के लिए एफआईआर/आरसी सं. आरसी0102020ए0022 दर्ज की गई, जो ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) के पट्टाधृत क्षेत्रों में अनूप माजी उर्फ लाला द्वारा ईसीएल के कुछ कर्मचारियों की सक्रिय मिलीभगत से किए जा रहे कोयले के कथित अवैध उत्खनन और चोरी के संबंध में है। उक्त प्राथमिकी के आधार पर, 28.11.2020 को, प्रत्यर्थी द्वारा नई दिल्ली स्थित उनके मुख्य जांच इकाई में ईसीआईआर सं. 17/एचआईयू/2020 दर्ज किया गया।
4. ईसीएल के पट्टाधृत क्षेत्र में आपराधिक तत्वों द्वारा किए जा रहे कोयले की चोरी और अवैध उत्खनन के संबंध में प्राथमिकी की जांच के दौरान, अवैध कोयला खनन और उसके परिवहन में इस्तेमाल किए जाने वाले बड़ी संख्या में वाहन/उपकरण जब्त किए गए। यह भी पाया गया कि उक्त मामले में 1300 करोड़ रुपए का धन शोधन शामिल थी। प्रत्यर्थी-ईडी के अनुसार, अभियुक्तगण में से एक विकास मिश्रा को 16.03.2021 को गिरफ्तार किया गया था और बांकुरा पुलिस स्टेशन के

एक अन्य अभियुक्त इंस्पेक्टर अशोक मिश्रा को 03.04.2021 को गिरफ्तार किया गया था, जो अवैध कोयला माफिया का हिस्सा बन गए थे और कई सौ करोड़ रुपए की लूट में मदद की थी। जांच के दौरान यह भी पाया गया कि इंस्पेक्टर अशोक कुमार मिश्रा ने सह-अभियुक्त अनूप माजी से मात्र 109 दिनों में 168 करोड़ रुपए प्राप्त किए थे, जिन्हें सह-अभियुक्त विनय मिश्रा सहित उसके राजनीतिक बॉस तक पहुंचाया जाना था। उक्त 168 करोड़ रुपए कथित तौर पर वाउचर के जरिए दिल्ली और विदेशों में ट्रांसफर किए गए थे।

5. 22.07.2021 को प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी सं. 1 को पीएमएलए की धारा 50 के तहत समन जारी किया, जिसमें मांगे गए दस्तावेजों सहित 03.08.2021 को नई दिल्ली में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का अनुरोध किया गया। फिर से 04.08.2021 को अपीलार्थी सं. 1 को एक और समन जारी किया गया, जिसमें 22.07.2021 के समन में मांगे गए समान दस्तावेज मांगे गए थे, ताकि वह 12.08.2021 को नई दिल्ली में उपस्थित हो सके। अपीलार्थी सं. 2 को भी दिनांक 04.08.2021 को पीएमएलए की धारा 50 के तहत समन जारी किया गया था, जिसमें उक्त समन में वर्णित दस्तावेजों/अभिलेख सहित दिनांक 13.08.2021 को नई दिल्ली में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कहा गया था। दोनों अपीलार्थी निर्देशानुसार उपस्थित नहीं हुए और दिनांक 12.08.2021 को अपने-अपने उत्तर प्रस्तुत कर उक्त समन का अनुपालन करने के लिए समय मांगा। प्रत्यर्थी ने 18.08.2021 को फिर से समन जारी किया, जिसमें अपीलार्थी सं. 1 को 06.09.2021 को नई दिल्ली में और अपीलार्थी सं. 2 को 01.09.2021 को नई दिल्ली में उपस्थित रहने की आवश्यकता थी। अपीलार्थी सं. 2 ने 18.08.2021 के समन का उत्तर देते हुए प्रत्यर्थी से कोलकाता में उसकी जांच करने का

अनुरोध किया, क्योंकि कोलकाता में प्रत्यर्थी का एक क्रियाशील कार्यालय था और कथित कार्रवाई का कारण पश्चिम बंगाल में उत्पन्न हुआ था। अपीलार्थी सं. 1 दिनांक 18.08.2021 के समन के अनुपालन में दिनांक 06.09.2021 को प्रत्यर्थी-ईडी के समक्ष नई दिल्ली में उपस्थित हुआ, हालांकि उसे उसी दिन फिर से समन जारी किया गया, जिसमें दिनांक 08.09.2021 को नई दिल्ली में दस्तावेजों सहित व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का अनुरोध किया गया। अपीलार्थी सं. 1 प्रत्यर्थी के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ, तथापि, उसने 08.09.2021 को एक प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया, जिसमें मांगे गए दस्तावेजों को एकत्र करने और जांचने हेतु चार सप्ताह का समय मांगा गया। अपीलार्थी सं. 1 को दिनांक 10.09.2021 को एक और समन जारी किया गया, जिसमें 21.09.2021 को नई दिल्ली में उपस्थित होने का अनुरोध किया गया। अपीलार्थीगण द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष रि.या. (आप.) सं. 1808/2021 दाखिल करके उक्त समन को चुनौती दी गई।

6. दिनांक 13.09.2021 को प्रत्यर्थी ने मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, पटियाला हाउस, नई दिल्ली के न्यायालय में दं.प्र.सं. की धारा 190 (1)(क) की सहपठित धारा 200 की सहपठित पीएमएलए की धारा 63(4) के तहत अपीलार्थी सं. 2 के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसमें दिनांक 04.08.2021 और 18.08.2021 के समन का पालन न करने पर भा.दं.सं. की धारा 174 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया। उक्त न्यायालय ने दिनांक 18.09.2021 के आदेश के तहत आरोपित अपराध का संज्ञान लिया और अपीलार्थी सं. 2 को 30.09.2021 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए समन जारी किया। अपीलार्थी सं. 2 दिनांक 30.09.2021 को वर्चुअल रूप से उपस्थित हुई और व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की मांग की। विद्वान सीएमएम ने केवल उस दिन के

लिए छूट आवेदन को अनुमति देते हुए एक आदेश पारित किया, और अपीलार्थी सं. 2 को 12.10.2021 को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहने का निर्देश दिया। प्रत्यर्थी द्वारा दायर की गई उक्त शिकायत और सीएमएम न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेशों को अपीलार्थी रुजिरा ने उच्च न्यायालय के समक्ष आप.वि.वा. सं. 2442/2021 दाखिल करके चुनौती दी।

7. जैसा कि पहले कहा गया है, दोनों रि.या. (आप.) सं. 1808/2021 और आप.वि.वा. सं. 2442/2021 को उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश के तहत खारिज कर दिया गया।

8. अपीलार्थी सं. 1 अभिषेक बनर्जी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने विस्तृत दलीलें दीं, जिनका सार इस प्रकार है: -

- i. पीएमएलए की धारा 50 केवल ईडी को समन करने की मूल शक्ति का संकेत देती है, लेकिन ऐसी शक्ति के प्रयोग की प्रक्रिया प्रदान नहीं करती है।
- ii. जांच की प्रादेशिकता से संबंधित प्रक्रिया, या बीमार, या अशक्त/महिलाओं/बच्चों को समन करने और उनके बयान दर्ज करने की शक्ति पीएमएलए की धारा 50 के तहत प्रदान नहीं की गई है, जैसा कि यह दं.प्र.सं. की धारा 160 और 161 के तहत प्रदान की गई है।
- iii. शक्ति का प्रयोग किस प्रकार किया जाना है, इसके लिए मार्गदर्शन के बिना उसे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत विधि द्वारा स्थापित निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित प्रक्रिया नहीं कहा जा सकता।

- iv. दं.प्र.सं. की धारा 4(2) और पीएमएलए की धारा 65 को संयुक्त रूप से पढ़ने से पता चलता है कि जब तक संहिता के प्रावधान पीएमएलए के अनुरूप हैं, तब तक संहिता का अनुप्रयोग वर्जित नहीं है।
- v. विजय मदनलाल चौधरी व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य में इस न्यायालय के निर्णय में पीएमएलए की धारा 50 के अंतर्गत समन जारी करने की प्रक्रिया के मुद्दे पर विचार नहीं किया गया है।
- vi. दं.प्र.सं. में प्रावधान है कि किसी अपराध के घटित होने में क्षेत्रीय संबंध का अस्तित्व पुलिस अधिकारी द्वारा जांच की शक्तियों के प्रयोग हेतु एक क्षेत्राधिकार सीमा है। हालांकि, प्रत्यर्थी - ईडी ने यह प्रदर्शित नहीं किया है कि अपीलार्थी सं. 1 को कोलकाता स्थित अपने कार्यालय में बुलाकर उसे किस तरह से पक्षपातपूर्ण बनाया जा सकता है, जहां ईडी का क्षेत्रीय कार्यालय है।
- vii. राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय ने पीएमएलए की धारा 51 के अनुरूप प्रशासनिक निर्देश जारी किए हैं जो ईडी के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के विशिष्ट क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार का सीमांकन करते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुरूप ईडी द्वारा उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना चाहिए।
- viii. अपीलार्थी सं. 1 कोलकाता का स्थायी निवासी है और संसद सदस्य होने के नाते उसका दिल्ली में निवास है, जिससे कोलकाता में उसका स्थायी निवास नहीं बदलता है।
- ix. दं.प्र.सं. की धारा 91 केवल दस्तावेजों के उत्पादन के लिए समन से संबंधित है, जबकि पीएमएलए के तहत अपीलार्थी सं. 1 को प्रत्यर्थी के समक्ष नई दिल्ली में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए

जारी किया गया समन कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं है।

9. उपरोक्त दलीलों के अलावा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अभिषेक मनु सिंघवी ने अपीलार्थी सं. 2 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोपाल शंकरनारायणन के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर निम्नलिखित दलीलें पेश कीं: -

- i. अपीलार्थी सं. 2 को नई दिल्ली में उपस्थित होने के लिए समन किया गया है, जबकि वह एक गृहिणी और दो बच्चों की मां है। ईडी ने क्षेत्रीय कार्यालय बनाए हैं और उसका एक कार्यालय कोलकाता में है। इसलिए, अपीलार्थी सं. 2 को दिल्ली में समन करना अवैध है और दुर्भावनापूर्ण है।
- ii. अपीलार्थी सं. 2 न तो संबंधित अपराध में और न ही धन शोधन अपराध में अभियुक्त है।
- iii. दं.प्र.सं. की धारा 160 के तहत महिलाओं को दी गई सुरक्षा पीएमएलए पर भी लागू होगी।
- iv. पीएमएलए की धारा 65 दं.प्र.सं. के प्रावधानों को लागू करती है, जहां तक वे गिरफ्तारी, तलाशी और अभिग्रहण, कुर्की, जब्ती, अन्वेषण, अभियोजन और उक्त अधिनियम के तहत अन्य सभी कार्यवाही के संबंध में पीएमएलए के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हैं। इसलिए, साक्षीगण को समन करने हेतु किसी विशिष्ट प्रक्रिया के अभाव में दं.प्र.सं. लागू होगी।
- v. संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रावधान है कि किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता को राज्य द्वारा केवल विधि द्वारा स्थापित

प्रक्रिया के अनुसार ही सीमित किया जा सकता है, और इसलिए अपीलार्थी सं. 2 के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित करने वाले समन की प्रक्रिया न्यायसंगत और उचित होनी चाहिए।

10. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस.वी. राजू ने प्रत्यर्थी-ईडी की ओर से विस्तृत प्रस्तुतियाँ भी कीं, जिन्हें संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है: -

- i. दं.प्र.सं. की धारा 91 न तो किसी क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार की सीमा को समाहित करती है और न ही इसमें महिलाओं, नाबालिगों या बुजुर्गों के लिए दं.प्र.सं. की धारा 160 के समान कोई प्रावधान है। किसी भी दस्तावेज के प्रावधान को अनिवार्य बनाने के लिए पुलिस अधिकारी को दं.प्र.सं. की धारा 91 का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए, दं.प्र.सं. की धारा 91 को पीएमएलए की धारा 50 के तहत शक्तियों के बराबर नहीं माना जा सकता है।
- ii. दं.प्र.सं. की धारा 160 उस पुलिस अधिकारी पर लागू होती है जो दं.प्र.सं. के अध्याय XII के तहत जांच कर रहा है, जबकि पीएमएलए की धारा 50 द्वारा परिकल्पित प्रक्रिया जांच की प्रकृति की है और विजय मदनलाल (पूर्वोक्त) के मामले में शब्द के सख्त अर्थ में जांच नहीं है।
- iii. प्रवर्तन निदेशालय को किसी भी ऐसे व्यक्ति को बुलाने का अधिकार है, जिसकी उपस्थिति आवश्यक समझी जाती है, चाहे वह साक्ष्य देने के लिए हो या पीएमएलए की धारा 50 के तहत किसी अभिलेख को प्रस्तुत करने के लिए हो। धारा 50 के तहत दिया गया बयान साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य है, जबकि धारा 161 के

तहत दिया गया बयान दं.प्र.सं. की धारा 162 के तहत अस्वीकार्य है।

- iv. पीएमएलए की धारा 50 और दं.प्र.सं. की धारा 160 के बीच बहुत अधिक विसंगतियां हैं, और इसलिए दं.प्र.सं. की धारा 160 पीएमएलए की धारा 50 के तहत कार्यवाही पर लागू नहीं होगी।
- v. पीएमएलए की धारा 50 के तहत शक्ति का प्रयोग करने की प्रक्रिया धन शोधन निवारण (प्ररूप, तलाशी और अभिग्रहण या फ्रीजिंग तथा न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को कारण और सामग्री अग्रेषित करने का तरीका, अभिलेखों को परिबद्ध करना और अभिरक्षा में रखना तथा प्रतिधारण की अवधि) नियम, 2005 नामक नियमों में निर्धारित की गई है।
- vi. अपीलार्थी सं. 1 ने इस तथ्य को छिपाकर न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया कि उसका नई दिल्ली में भी निवास है।
- vii. पीएमएलए की धारा 50 के तहत दिया गया बयान अनुच्छेद 20(3) में निहित व्यक्ति के किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करेगा, क्योंकि बयान देने वाला व्यक्ति धारा 50 के तहत बयान दर्ज किए जाने के समय अभियुक्त नहीं है।
- viii. प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के संबंध में, वैकल्पिक रूप से यह प्रस्तुत किया गया है कि ईडी के मामले के अनुसार, अपराध की आय 168 करोड़ रुपए के बराबर थी, जिसे वाउचर के माध्यम से दिल्ली और विदेशों में स्थानांतरित किया गया था, और इसलिए, कथित अपराध सहित दिल्ली के क्षेत्र के साथ पर्याप्त संबंध था। यहां तक कि दिल्ली में भी अभियोजन शिकायत दर्ज की जा सकती थी, जो राणा

अय्यूब बनाम प्रवर्तन निदेशालय में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुरूप होगी।

- ix. प्रवर्तन निदेशालय में बनाए गए क्षेत्रीय कार्यालय प्रशासनिक सुविधा के लिए हैं और किसी भी तरह से उन संबंधित कार्यालयों या अधिकारियों की जांच के दायरे को सीमित नहीं करते हैं, यदि धन शोधन का अपराध कई राज्यों में फैला हुआ है।
- x. दं.प्र.सं. की धारा 5 की सहपठित धारा 4 (2) को पढ़ने पर यह विचार किया जाता है कि 1973 की संहिता में निहित कोई भी बात जांच के स्थान, छानबीन या ऐसे विशेष अपराधों से निपटने के तरीके को विनियमित करने वाले किसी भी विशेष कानून को लागू या प्रभावित नहीं करेगी।
- xi. अपीलार्थी सं. 2 को नई दिल्ली में बुलाने में कोई अवैधता नहीं थी, क्योंकि ईडी के अनुसार अपराध की आय नई दिल्ली तक पहुँच गई थी, जो कि वह क्षेत्र है जहाँ कथित तौर पर अपराध का कुछ हिस्सा किया गया है।
- xii. पीएमएलए की धारा 50 लैंगिक रूप से तटस्थ है क्योंकि यह पुरुष और महिला के बीच कोई भेद नहीं करती है। न्यायालय धारा 50 में महिलाओं के पक्ष में अपवाद नहीं बना सकता, जब कोई अपवाद नहीं है। जब भी विधानमंडल को महिलाओं के पक्ष में अपवाद बनाने की आवश्यकता महसूस हुई, तो उसने ऐसा किया है, जैसा कि पीएमएलए की धारा 45 के प्रावधान से स्पष्ट है। इसलिए, यह कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि धारा 50 में कोई चूक है।

11. सुविधा के लिए, आइए हम दं.प्र.सं. और पीएमएलए के कुछ प्रावधानों का संदर्भ लें, जो इन अपीलों पर निर्णय लेने के उद्देश्य से प्रासंगिक हैं, जैसा कि पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्तागण ने भी भरोसा किया है।

दं.प्र.सं. के प्रासंगिक प्रावधान:

4. भारतीय दंड संहिता और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचार -

(1) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन सब अपराधों का अन्वेषण, जांच, विचारण और उनके संबंध में अन्य कार्यवाही इसमें इसके पश्चात् अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार की जाएगी।

(2) किसी अन्य विधि के अधीन सब अपराधों का अन्वेषण, जांच, विचारण और उनके संबंध में अन्य कार्यवाही इन्हीं उपबंधों के अनुसार किंतु ऐसे अपराधों के अन्वेषण, जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही की रीति या स्थान का विनियमन करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति के अधीन रहते हुए, की जाएगी।

5. व्यावृत्ति - इससे प्रतिकूल किसी विनिर्दिष्ट उपबंध के अभाव में इस संहिता की कोई बात तत्समय प्रवृत्त किसी विशेष या स्थानीय विधि पर, या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा प्रदत्त किसी विशेष अधिकारिता या शक्ति या उस विधि द्वारा विहित किसी विशेष प्रक्रिया पर प्रभाव नहीं डालेगी।

91. दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए समन-

(1) जब कभी कोई न्यायालय या पुलिस थाने का कोई भारसाधक अधिकारी यह समझता है कि किसी ऐसे अन्वेषण, जांच, विचारण, या अन्य कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए, जो इस संहिता के अधीन ऐसे न्यायालय या अधिकारी के द्वारा या समक्ष हो रही हैं, किसी दस्तावेज या अन्य चीज का पेश किया जाना आवश्यक या वांछनीय है तो जिस व्यक्ति के कब्जे या शक्ति में ऐसी दस्तावेज या चीज के होने का विश्वास है उसके नाम ऐसा न्यायालय एक समन या ऐसा अधिकारी एक लिखित आदेश उससे यह अपेक्षा करते हुए जारी कर सकता है कि उस समन या आदेश में उल्लिखित समय और स्थान पर उसे पेश करे अथवा हाजिर हो और उसे पेश करे।

(2) यदि कोई व्यक्ति, जिससे इस धारा के अधीन दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने की ही अपेक्षा की गई है उसे पेश करने के लिए स्वयं हाजिर होने के बजाय उस दस्तावेज या चीज को पेश करवा दे तो यह समझा जाएगा कि उसने उस अपेक्षा का अनुपालन कर दिया है।

(3) इस धारा की कोई बात-

(क) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 123 और 124 या बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 1891 (1891 का 13) पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी; अथवा

(ख) डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी पत्र, पोस्टकार्ड, तार या अन्य दस्तावेज या किसी पार्सल या चीज को लागू होने वाली नहीं समझी जाएगी।

160. साक्षियों को हाजरी की अपेक्षा कराने की पुलिस अधिकारी की शक्ति.-

(1) कोई पुलिस अधिकारी, जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है, अपने थाने की या किसी पास के थाने की सीमा के अंदर विद्यमान किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसकी दी गई इत्तिला से या अन्यथा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होता है, अपने समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा लिखित आदेश द्वारा कर सकता है और वह व्यक्ति अपेक्षा अनुसार हाजिर होगा।

परन्तु किसी पुरुष से [जो पंद्रह वर्ष से कम आयु का या पैंसठ वर्ष से अधिक आयु का है या किसी स्त्री से या किसी मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्ति से] ऐसे स्थान से जिसमें ऐसा पुरुष या स्त्री निवास करती है, भिन्न किसी स्थान पर हाजिर होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(2) अपने निवास स्थान से भिन्न किसी स्थान पर उपधारा (1) के अधीन हाजिर होने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के उचित खर्चों का पुलिस अधिकारी द्वारा संदाय करने के लिए राज्य सरकार इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा उपबंध कर सकती है।"

पीएमएलए के प्रासंगिक प्रावधान:

50. समन जारी करना, दस्तावेज प्रस्तुत करने तथा साक्ष्य देने आदि के संबंध में प्राधिकारियों की शक्तियां-

(1) धारा 13 के प्रयोजनों के लिए निदेशक को निम्नलिखित मामलों के संबंध में किसी मुकदमे की सुनवाई करते समय वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात:

(क) खोज और निरीक्षण;

(ख) किसी व्यक्ति को, जिसमें किसी बैंकिंग कंपनी या वित्तीय संस्थान या कंपनी का कोई अधिकारी भी शामिल है, उपस्थित होने के लिए बाध्य करना , तथा शपथ पर उसकी जांच करना;

(ग) रिकॉर्डों को प्रस्तुत करने हेतु बाध्य करना;

(घ) शपथपत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(ङ) गवाहों और दस्तावेजों की जांच के लिए कमीशन जारी करना; और

(च) कोई अन्य विषय जो निर्धारित किया जा सकता है।

(2) निदेशक, अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक या सहायक निदेशक को किसी भी व्यक्ति को बुलाने की शक्ति होगी, जिसकी उपस्थिति वह आवश्यक समझे, चाहे

इस अधिनियम के तहत किसी भी जांच या कार्यवाही के दौरान साक्ष्य देने या कोई रिकॉर्ड पेश करने के लिए, ।

(3) इस प्रकार बुलाये गए सभी व्यक्ति, जैसा कि अधिकारी निर्देश दे, व्यक्तिगत रूप से या प्राधिकृत अभिकर्ताओं के माध्यम से उपस्थित होने के लिए बाध्य होंगे, तथा जिस विषय के संबंध में उनकी जांच की जा रही है, उस पर सत्य बोलने या कथन देने तथा अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होंगे।

(4) उपधारा (2) और (3) के अधीन प्रत्येक कार्यवाही भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी।

(5) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए किसी नियम के अधीन रहते हुए, उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई अधिकारी इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए किसी अभिलेख को, जितनी वह ठीक समझे, उतनी अवधि के लिए जब्त कर सकता है तथा अपनी अभिरक्षा में रख सकता है: बशर्ते सहायक निदेशक या उप निदेशक-

(क) ऐसा करने के अपने कारण अभिलिखित किए बिना कोई अभिलेख जब्त नहीं करेगा; या

(ख) निदेशक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना ऐसे किसी अभिलेख को तीन महीने से अधिक अवधि के लिए अपनी अभिरक्षा में नहीं रखेगा।

51. प्राधिकारियों का क्षेत्राधिकार.-

(1) प्राधिकारी सभी या किसी भी शक्ति का प्रयोग करेंगे और इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार ऐसे प्राधिकारियों को, जैसा भी मामला हो, प्रदत्त या सौंपे गए सभी या कोई कार्य करेंगे जैसे कि केन्द्रीय सरकार सभी या किसी प्राधिकरण द्वारा शक्तियों के प्रयोग और कार्यों के निष्पादन के लिए जारी कर सकती है।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट निर्देश या आदेश जारी करते समय, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित मानदंडों में से किसी एक या अधिक को ध्यान में रख सकती है, अर्थात्: -

(क) प्रादेशिक क्षेत्र;

(ख) व्यक्तियों के वर्ग;

(ग) मामलों के वर्ग; और

(घ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य मानदंड

63. गलत जानकारी देने या जानकारी न देने आदि हेतु दण्ड-

(1) कोई व्यक्ति जानबूझकर और द्वेषपूर्ण ढंग से झूठी जानकारी देगा और इस प्रकार इस अधिनियम के अधीन गिरफ्तारी या तलाशी कराएगा तो दोषसिद्ध होने पर उसे दो वर्ष तक के कारावास या पचास हजार रुपए तक के जुर्माने या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति,-

(क) धारा 3 के अधीन अपराध से संबंधित किसी मामले की सच्चाई बताने के लिए विधिक रूप से आबद्ध होते हुए, इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग में किसी प्राधिकारी द्वारा उससे पूछे गए किसी प्रश्न का उत्तर देने से इंकार करता है; या

(ख) इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के दौरान अपने द्वारा दिए गए किसी कथन पर हस्ताक्षर करने से इंकार करता है, जिस पर हस्ताक्षर करने के लिए कोई प्राधिकारी विधिक रूप से अपेक्षा कर सकता है; या

(ग) जिसे धारा 50 के अधीन किसी निश्चित स्थान और समय पर साक्ष्य देने या लेखा पुस्तकें या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समन जारी किया गया है, वह उस स्थान या समय पर उपस्थित होने या लेखा पुस्तकें या दस्तावेज प्रस्तुत करने में चूक जाता है,

वह जुर्माने के रूप में एक ऐसी राशि का भुगतान करेगा जो पांच सौ रुपये से कम नहीं होगी लेकिन जो ऐसी प्रत्येक चूक या विफलता के लिए दस हजार रुपये तक बढ़ सकती है।

(3) इस धारा के तहत कोई भी आदेश उप-धारा (2) में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि जिस व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जाना प्रस्तावित है उसे ऐसे प्राधिकारी द्वारा मामले में सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाता है।

(4) उपधारा (2) के खंड (ग) में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति जो धारा 50 के अधीन जारी किए गए किसी निर्देश की जानबूझकर अवज्ञा करता है, उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 174 के अधीन भी कार्यवाही की जा सकेगी।

65. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 लागू करना. - दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबन्ध, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती, कुर्की, जब्ती जांच, अभियोजन और इस अधिनियम के अधीन अन्य सभी कार्यवाहियों पर लागू होंगे।

71. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना। - इस अधिनियम के प्रावधान, किसी अन्य कानून में निहित किसी भी असंगत बात के बावजूद प्रभावी होंगे।

- 12.** पीएमएलए, 2002 की धारा 73 की उपधारा (2) के खंड (क), खंड (ड), खंड (ढ), खंड (ण), खंड (तत) और खंड (ब) सहित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने “धन शोधन निवारण (प्ररूप, तलाशी और अभिग्रहण या फ्रीजिंग तथा न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को कारण और सामग्री अग्रेषित करने का तरीका, अभिलेखों को जब्त करना और अभिरक्षा में रखना तथा प्रतिधारण की अवधि) नियम, 2005” नामक नियम भी बनाए हैं। उक्त नियमों के नियम 11 के अनुसार, समन अधिकारी को पीएमएलए की धारा 50 की उपधारा (2) और (3) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नियमों से संलग्न फॉर्म वी में समन जारी करना होगा। उक्त नियमों का नियम 11 निम्नानुसार है: -

“नियम 11: - अभिलेखों के प्रारूप। - समन अधिकारी अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (2) और (3) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इन नियमों से संलग्न प्रपत्र V में समन जारी करेगा।

13. सबसे पहले, यह ध्यान दिया जा सकता है कि जैसा कि अब तक तय हो चुका है, पीएमएलए के प्रावधान न केवल धन शोधन के अपराध की जांच करने हेतु हैं, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि धन शोधन को रोकने और धन शोधन से प्राप्त या इसमें शामिल संपत्ति को जब्त करने और उससे जुड़े और उसके आनुषंगिक मामलों के लिए प्रावधान करना है। विजय मदनलाल (पूर्वोक्त) में तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा निर्धारित, पीएमएलए एक स्व-निहित संहिता है और इसके तहत परिकल्पित प्रावधान, इसकी धारा 71 के अनुसार प्रभावी होने चाहिए, जो यह प्रतिपादित करती है कि अधिनियम के प्रावधान किसी भी अन्य कानून में निहित असंगत किसी भी बात के बावजूद प्रभावी होंगे, जिसमें दं.प्र.सं. के प्रावधान शामिल हैं। अधिनियम की धारा 65 में यह प्रावधान है कि दं.प्र.सं. के प्रावधान तब तक लागू होंगे जब तक वे गिरफ्तारी, तलाशी और अभिग्रहण, कुर्की, जब्ती, अन्वेषण, अभियोजन और अधिनियम के तहत अन्य सभी कार्यवाहियों के संबंध में पीएमएलए के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि संहिता की धारा 4(2) में कहा गया है कि किसी भी अन्य कानून के तहत सभी अपराधों की जांच, पूछताछ, मुकदमा चलाया जाएगा और अन्यथा उन्हीं प्रावधानों के अनुसार निपटाया जाएगा, लेकिन ऐसे अपराधों की जांच, पूछताछ, विचारण या अन्यथा निपटने के तरीके या स्थान को विनियमित करने वाले किसी भी अधिनियम के अधीन होगी। इसके अतिरिक्त, संहिता की धारा 5 में कहा गया है कि संहिता में निहित

कोई भी बात, इसके विपरीत विशिष्ट प्रावधान के अभाव में, वर्तमान में लागू किसी विशेष या स्थानीय कानून, या किसी विशेष क्षेत्राधिकार या शक्ति, या वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून द्वारा निर्धारित किसी विशेष प्रकार की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करेगी। इस प्रकार, पीएमएलए की धारा 71 और धारा 65 तथा संहिता की धारा 4(2) और धारा 5 के संयुक्त वाचन को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि पीएमएलए के प्रावधानों का प्रभाव होगा, भले ही दं.प्र.सं. के प्रावधानों सहित वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून में इसके साथ असंगत कुछ भी शामिल हो।

14. यद्यपि अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा यह जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया गया कि दं.प्र.सं. की धारा 160 का दायरा किसी भी व्यक्ति को बुलाने तक विस्तारित होगा, चाहे वह व्यक्ति उस अपराध का अभियुक्त हो या केवल साक्षी हो, विजय मदनलाल में तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की गई विशिष्ट टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए उक्त दलील को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाना चाहिए, जिसके अनुसार संहिता के अध्याय XII के प्रावधान (जिसके अंतर्गत धारा 160 आती है) धन शोधन अपराध के कमीशन से संबंधित प्राप्त जानकारी से निपटने के लिए सभी मामलों में लागू नहीं होते हैं, इसकी जांच तो दूर की बात है। विजय मदनलाल मामले में न्यायालय द्वारा इस मुद्दे पर विचार करते समय की गई सटीक टिप्पणियाँ, कि क्या ईसीआईआर को 1973 संहिता के तहत प्राथमिकी के बराबर माना जा सकता है या नहीं, निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“456.... 2002 अधिनियम की योजना पर विचार करते हुए, हालांकि धन शोधन के अपराध को अन्यथा संज्ञेय अपराध माना जाता है (जिसका संज्ञान केवल इस अधिनियम की

धारा 48 में निर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा लिया जा सकता है, न कि क्षेत्राधिकार वाली पुलिस द्वारा) और 2002 अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय है, कानून द्वारा विशेष शिकायत प्रक्रिया निर्धारित की गई है। यह प्रक्रिया अपराध के पंजीकरण और उसकी जांच/अन्वेषण के मामले में अन्य अपराधों (धन शोधन अपराधों के अलावा) से निपटने के लिए 1973 संहिता के तहत निर्धारित प्रक्रिया को रद्द कर देती है। यह विशेष प्रक्रिया 2002 अधिनियम की धारा 71 के अनुसार और उसी अधिनियम की धारा 65 को ध्यान में रखते हुए लागू होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, धन शोधन का अपराध क्षेत्राधिकार वाली पुलिस द्वारा पंजीकृत नहीं किया जा सकता है, जो 1973 संहिता के अध्याय XII के तहत शासन-पद्धति द्वारा शासित है। 1973 संहिता के अध्याय XII के प्रावधान धन शोधन अपराध के संबंध में प्राप्त जानकारी से निपटने के लिए सभी मामलों में लागू नहीं होते हैं, इसकी जांच तो दूर की बात है। धन शोधन की रोकथाम, अपराध की आय की कुर्की और धन शोधन के अपराध की जांच/अन्वेषण से लेकर 2002 अधिनियम की धारा 3 के तहत अपराध के संबंध में शिकायत दर्ज करने तक की व्यवस्था पूरी तरह से 2002 अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित होती है। अर्थात् सर्वेक्षण, तलाशी, अभिग्रहण, समन जारी करना, संबंधित व्यक्तियों के बयान दर्ज करना तथा दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहना, जांच/अन्वेषण, धन शोधन के अपराध में संलिप्त व्यक्तियों की गिरफ्तारी जिसमें जमानत और कुर्की,

अपराध की आय के रूप में संपत्ति की जब्ती और निहित करना शामिल है। वास्तव में, गिरफ्तारी के बाद, धन शोधन के अपराध में शामिल ऐसे अपराधी से निपटने का तरीका 1973 संहिता के प्रावधानों द्वारा शासित होगा - चूंकि 2002 अधिनियम में गिरफ्तार व्यक्ति को चौबीस घंटे के भीतर क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने और पुलिस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 1973 संहिता में निर्धारित कानूनी अवधि के भीतर विशेष न्यायालय के समक्ष शिकायत दर्ज करने के संबंध में कोई असंगत प्रावधान नहीं हैं, यदि इसकी समाप्ति से पहले जमानत पर रिहा नहीं किया जाता है।”

15. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि धन शोधन की रोकथाम, अपराध की आय की कुर्की, तथा धन शोधन के अपराध की जांच/अन्वेषण, जिसमें समन जारी करना, बयान दर्ज करना, दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए व्यक्तियों को बुलाना आदि शामिल है, से लेकर पीएमएलए की धारा 3 के तहत अपराध के संबंध में शिकायत दर्ज करने तक की व्यवस्था पूरी तरह से उक्त अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित है। संहिता के अध्याय XII के शासन-पद्धति द्वारा शासित क्षेत्राधिकार वाली पुलिस, धन शोधन के अपराध को पंजीकृत नहीं कर सकती है, न ही इसकी जांच कर सकती है, क्योंकि अपराध के पंजीकरण और जांच/अन्वेषण के संबंध में पीएमएलए के तहत निर्धारित विशेष प्रक्रिया है, और पीएमएलए की धारा 71 के अनुसार विशेष प्रक्रिया लागू होनी चाहिए।
16. इस तथ्य के अतिरिक्त कि धारा 50 लिंग-निरपेक्ष है, क्योंकि यह पुरुष और महिला के बीच कोई भेद नहीं करती है, पीएमएलए की धारा 50

और दं.प्र.सं. की धारा 160/161 में निहित प्रावधानों के बीच स्पष्ट असंगतताएं हैं। दं.प्र.सं. का अध्याय XII “पुलिस को इत्तिला और उनकी अन्वेषण की शक्तियों” से संबंधित है। धारा 160 जो अध्याय XII के अंतर्गत आती है, उक्त अध्याय के अंतर्गत जांच करने वाले पुलिस अधिकारी को अपने या आस-पास के थाने की सीमा के भीतर किसी भी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कहने का अधिकार देती है, जो दी गई जानकारी या अन्यथा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होता है, जबकि पीएमएलए की धारा 50 द्वारा परिकल्पित प्रक्रिया अपराध की आय के विरुद्ध जांच की प्रकृति की है और अभियोजन आरंभ करने के लिए शब्द के सख्त अर्थ में “जांच” नहीं है; और पीएमएलए की धारा 48 में संदर्भित प्राधिकारी पुलिस अधिकारी नहीं हैं जैसा कि विजय मदनलाल मामले में कहा गया है। उक्त निर्णय में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पीएमएलए की धारा 50 के तहत प्राधिकारियों द्वारा दर्ज किए गए बयान संविधान के अनुच्छेद 20(3) या अनुच्छेद 21 के अंतर्गत नहीं आते, बल्कि जांच के दौरान प्राधिकारियों द्वारा दर्ज किए गए ऐसे बयान धारा 50(4) के अनुसार न्यायिक कार्यवाही माने जाएंगे और साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होंगे, जबकि संहिता के अध्याय XII के तहत जांच के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस अधिकारी को दिए गए बयानों का उपयोग संहिता की धारा 162 के परंतुक में बताए गए उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य हेतु नहीं किया जा सकता। पीएमएलए की धारा 50 और दं.प्र.सं. की धारा 160/161 के बीच इस तरह की स्पष्ट असंगतियों को देखते हुए, पीएमएलए की धारा 50 के प्रावधान धारा 71 की सहपठित धारा 65 के अनुसार प्रभावी होंगे।

17. जहां तक पीएमएलए की धारा 50 की उपधारा (2) और (3) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय समन अधिकारी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का संबंध है, यह ध्यान देने योग्य है कि उक्त नियम 2005 के नियम 11 के अनुसार समन अधिकारी को उसमें निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा, अर्थात् उक्त नियमों से संलग्न फॉर्म V में समन जारी करना होगा। उक्त निर्धारित प्रपत्र V में समन अधिकारी को न केवल समन अधिकारी का नाम, पदनाम और पता बताना होगा, बल्कि समन किए गए व्यक्तियों का विवरण और उसमें मांगे गए दस्तावेज भी बताने होंगे। फॉर्म V के फुटनोट में यह भी उल्लेख किया गया है कि कार्यवाही को भा.दं.सं. की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही माना जाएगा, और यदि समन किया गया व्यक्ति अनुसूची में उल्लिखित साक्ष्य देने में विफल रहता है, तो वह अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगा। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (2) और (3) के तहत व्यक्ति को समन करने हेतु 2005 के कानूनी नियमों के तहत विशिष्ट प्रक्रिया निर्धारित की गई है, पीएमएलए की धारा 71 की सहपठित धारा 65 के तहत दं.प्र.सं. सहित अन्य अधिनियमों पर पीएमएलए को दिए गए अधिभावी प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, यह संहिता के तहत निर्धारित किसी भी अन्य प्रक्रिया, विशेष रूप से धारा 160/161 में परिकल्पित प्रक्रिया सहित संहिता की धारा 91 में परिकल्पित दस्तावेजों के उत्पादन की प्रक्रिया पर भी लागू होगी।
18. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ताओं की ओर से यह दलील भी पूरी तरह गलत है कि प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को छोड़कर पीएमएलए की धारा 50 के तहत प्राधिकरण को शक्ति प्रदान करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया" के मानक के

विपरीत होगा। विजय मदनलाल मामले में संविधान के अनुच्छेद 20(3) और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करने के आधार पर धारा 50 की वैधता को चुनौती दी गई थी और न्यायालय ने इसकी वैधता को बरकरार रखते हुए निम्न प्रकार टिप्पणी की: -

“425. वास्तव में, धारा 50 की उपधारा (2) निदेशक, अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक या सहायक निदेशक को किसी भी व्यक्ति को समन जारी करने का अधिकार देती है, जिसकी उपस्थिति वह इस अधिनियम के तहत किसी जांच या कार्यवाही के दौरान साक्ष्य देने या कोई अभिलेख पेश करने के लिए आवश्यक समझता है। हमने इस निर्णय के पूर्व भाग में "कार्यवाही" शब्द की व्यापकता पर पहले ही प्रकाश डाला है और अभिनिर्धारित किया है कि जैसा भी मामला हो, यह न्यायनिर्णयन प्राधिकरण या विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाही पर लागू होता है। फिर भी, उप-धारा (2) प्राधिकृत अधिकारियों को किसी भी व्यक्ति को समन जारी करने का अधिकार देती है। हम यह समझने में असफल हैं कि अनुच्छेद 20(3) ऐसे समन के अनुसार बयान दर्ज करने की प्रक्रिया के संबंध में कैसे लागू होगा जो केवल इस अधिनियम के तहत कार्यवाही के संबंध में जानकारी या साक्ष्य एकत्र करने के उद्देश्य से है। वास्तव में, इस प्रकार बुलाया गया व्यक्ति, व्यक्तिगत रूप से या प्राधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होने तथा किसी विषय पर सत्य कथन करने के लिए बाध्य है, जिसके संबंध में उसकी जांच की जा रही है या उससे कथन करने तथा दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जा रही है, जैसा कि

अधिनियम 2002 की धारा 50 की उपधारा (3) के आधार पर अपेक्षित हो सकता है।....

426 से 430.....

431. 2002 अधिनियम के संदर्भ में, यह याद रखना चाहिए कि समन प्राधिकरण द्वारा धारा 50 के तहत अपराध की आय के संबंध में जांच के संबंध में जारी किया गया है जो कि संलग्न किया गया हो सकता है और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष लंबित हो सकता है। ऐसी कार्रवाई के संबंध में, नामित अधिकारियों को निर्णय प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी और साक्ष्य एकत्र करने के लिए किसी भी व्यक्ति को समन देने का अधिकार दिया गया है। यह आवश्यक नहीं है कि नोटिस प्राप्तकर्ता के विरुद्ध अभियोजन आरंभ किया जाए। इस अधिनियम के तहत नामित अधिकारियों को सौंपी गई शक्ति, यद्यपि वास्तविक अर्थ में जांच के रूप में है, अपराध की आय के संबंध में कार्रवाई शुरू करने या आगे बढ़ाने की सुविधा के लिए प्रासंगिक तथ्यों का पता लगाने हेतु जांच करने के लिए है, यदि स्थिति ऐसा करने की मांग करती है और न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। यह अलग बात है कि जांच के दौरान एकत्रित की गई जानकारी और साक्ष्य से धन शोधन के अपराध के कमीशन और उस व्यक्ति की संलिप्तता का खुलासा कर सकते हैं, जिसे प्राधिकरण द्वारा जारी समन के अनुसार खुलासे करने हेतु बुलाया गया है। इस स्तर पर, ऐसे व्यक्ति के धन शोधन के अपराध में अभियुक्त के रूप में शामिल होने की

संभावना का संकेत देने वाला कोई औपचारिक दस्तावेज नहीं होगा। यदि उसके द्वारा दिए गए बयान से धन शोधन के अपराध या अपराध की आय के अस्तित्व का पता चलता है, तो वह अधिनियम के तहत ही कार्रवाई योग्य हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो, अपराध की आय होने वाली संपत्ति के संबंध में प्रासंगिक तथ्यों की जांच करने के उद्देश्य से बयान दर्ज करने की स्थिति में, उस अर्थ में, अभियोजन के लिए जांच नहीं होती है; और किसी भी मामले में, नोटिस प्राप्त करने वाले के खिलाफ कोई औपचारिक आरोप नहीं होगा। ऐसे समन प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा की गई जांच में साक्षीगण को भी जारी किए जा सकते हैं। हालांकि, अन्य सामग्री और साक्ष्य के आधार पर आगे की जांच के बाद, ऐसे व्यक्ति (नोटिस प्राप्तकर्ता) की संलिप्तता का पता चलता है, तो प्राधिकृत अधिकारी निश्चित रूप से उसके खिलाफ उसके द्वारा किए गए कार्यों या चूक हेतु कार्यवाही कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में, समन जारी करने के चरण में, व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत संरक्षण का दावा नहीं कर सकता। हालांकि, अगर उसका बयान ईडी अधिकारी द्वारा औपचारिक गिरफ्तारी के बाद दर्ज किया जाता है, तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 20 (3) या धारा 25 के परिणाम लागू हो सकते हैं, जिससे यह आग्रह किया जा सकता है कि यह स्वीकारोक्ति की प्रकृति का है, इसलिए उसके खिलाफ साबित नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, यह अभियोजन पक्षकार को ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करने से नहीं रोकेगा, जिसमें उसके दावे

की मिथ्याता को इंगित करने के लिए अन्य ठोस सामग्री के आधार पर 2002 अधिनियम की धारा 63 के तहत परिणाम शामिल हैं। यह साक्ष्य के नियम का मामला होगा।”

19. विजय मदनलाल मामले में निर्धारित उपर्युक्त अनुपात अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा धारा 50 के प्रावधानों के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 20(3) या अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करने के संबंध में उठाए गए तर्कों को पुष्ट करता है, और हमें इस पर और अधिक विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, न ही हमें उक्त मुद्दे पर इस न्यायालय के निर्णयों पर विचार करने की आवश्यकता है, जिन पर विजय मदनलाल मामले में पहले ही विचार किया जा चुका है। यह कहना पर्याप्त है कि धारा 50 प्राधिकृत प्राधिकारी को किसी भी व्यक्ति को समन जारी करने में सक्षम बनाती है, जिसकी उपस्थिति वह अधिनियम के तहत कार्यवाही के दौरान साक्ष्य देने या कोई अभिलेख पेश करने के लिए आवश्यक समझता है, और इस तरह से समन किए गए व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से या अधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होने के लिए बाध्य किया जाता है, और उस विषय पर सत्य बताना होता है जिसके बारे में उसकी जांच की जा रही है या उससे बयान देने और दस्तावेज पेश करने की अपेक्षा की जाती है, जैसा कि धारा 50 की उप-धारा (3) के आधार पर अपेक्षित हो सकता है। समन जारी करने के चरण में, व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत संरक्षण का दावा नहीं कर सकता है, जो "साक्ष्य देने की बाध्यता" नहीं है। संपत्ति के अपराध की आय होने के संबंध में प्रासंगिक तथ्यों की जांच करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति के बयान को दर्ज करने के चरण में अभियोजन के लिए जांच नहीं की जाती है। प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा की गई जांच में साक्षीगण को भी समन जारी किया

जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 20(3) या साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के परिणाम तभी लागू हो सकते हैं जब ऐसे व्यक्ति (नोटिसकर्ता) की संलिप्तता का पता चलता है और ईडी अधिकारी द्वारा औपचारिक गिरफ्तारी के बाद उसका बयान दर्ज किया जाता है। हमारी राय में, अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्तागण ने उन मुद्दों को फिर से उठाने की कोशिश की है जो विजय मदनलाल में पहले ही सुलझाए जा चुके हैं।

20. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्तागण ने वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट पर बहुत अधिक भरोसा किया है, जिसमें उनके अनुसार प्रवर्तन निदेशालय के संगठनात्मक ढांचे के बारे में बताया गया है, जो प्रवर्तन निदेशालय के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार का सीमांकन करता है। उनके अनुसार, राजस्व विभाग द्वारा दिए गए ऐसे निर्देश ईडी द्वारा जांच की शक्तियों के प्रयोग हेतु हैं, जैसा कि पीएमएलए की धारा 51 में अनिवार्य है और इसलिए इनका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। उक्त दलील भी भ्रामक होने के कारण स्वीकार नहीं की जा सकती। स तथ्य के अलावा कि जिस दस्तावेज पर भरोसा किया गया है वह वित्त मंत्रालय की एक वार्षिक रिपोर्ट है, जो ईडी के संगठनात्मक ढांचे को दर्शाती है, इसे केंद्र सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 51 में परिकल्पित अधिकारियों द्वारा शक्तियों के प्रयोग और कार्यों के प्रदर्शन के उद्देश्य से जारी किए गए निर्देशों के रूप में नहीं माना जा सकता है। जैसा कि उक्त रिपोर्ट में कहा गया है, पूरे भारत में प्रवर्तन निदेशालय के उक्त कार्यालय यह सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किए गए हैं कि धन शोधन अपराधों की प्रभावी तरीके से जांच की जाए और वे धन शोधन के संभावित अपराधियों के लिए निरोधक के रूप में कार्य करें। मुख्यालय जांच इकाई (एचआईयू) को

उक्त संगठनात्मक ढांचे में किसी भी क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार तक सीमित नहीं किया गया है। वर्तमान ईसीआईआर ईसीआईआर/17/एचआईयू/2020 एचआईयू में दर्ज है। इसके अतिरिक्त, विशेष न्यायालय, पीएमएलए, राउज एवेन्यू कोर्ट, नई दिल्ली के समक्ष अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ दायर शिकायत में ईडी के विशिष्ट मामले के अनुसार, इंस्पेक्टर अशोक कुमार मिश्रा ने सह-अभियुक्त अनूप माजी से अपने राजनीतिक बॉस को देने के लिए कथित तौर पर 168 करोड़ रुपये प्राप्त किए थे, और उक्त 168 करोड़ रुपये वाउचर के माध्यम से दिल्ली और विदेशों में स्थानांतरित किए गए थे, जिससे स्पष्ट रूप से अपराध और अपराधियों का दिल्ली के क्षेत्र के साथ पर्याप्त संबंध स्थापित होता है। इसलिए हमें प्रत्यर्थी-ईडी द्वारा जारी समन में कोई अवैधता नहीं दिखती है, जिसमें अपीलार्थीगण को दिल्ली स्थित अपने कार्यालय में बुलाया गया है, जिसके पास क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार भी है, अपराध का एक हिस्सा कथित रूप से अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा किया गया है जैसा कि शिकायत में आरोप लगाया गया है। यह भी आक्षेपित नहीं है कि अपीलार्थी सं. 1 संसद सदस्य होने के नाते दिल्ली में एक आधिकारिक निवास भी रखता है।

21. इस मामले को देखते हुए, हमें पीएमएलए की धारा 50 के तहत अपीलार्थीगण को जारी किए गए समन को अपीलार्थीगण द्वारा दी गई चुनौती में कोई तथ्य नहीं मिलता है। धारा 50 की उपधारा (3) के अनुसार, समन किए गए सभी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से या अधिकारी द्वारा निर्देशित प्राधिकृत अभिकर्ताओं के माध्यम से उपस्थित होने के लिए बाध्य हैं और जिस विषय पर उनसे पूछताछ की जा रही है, उस पर सत्य बताने या बयान देने तथा अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बाध्य हैं। उपधारा (4) के अनुसार उपधारा (2) और (3) के अंतर्गत

प्रत्येक कार्यवाही भा.दं.सं. की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही मानी जाएगी। धारा 63 की उपधारा (4) के अनुसार, कोई व्यक्ति जो जानबूझकर धारा 50 के तहत जारी किसी निर्देश की अवहेलना करता है, उसके खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 174 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

22. इस न्यायालय द्वारा 18.07.2024 को पारित आदेश के अनुसरण में उप निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, नई दिल्ली द्वारा प्रस्तुत स्थिति रिपोर्ट से पता चला है कि अपीलार्थी सं. 2 - रुजिरा बनर्जी उपस्थित नहीं हुई और 04.08.2021 और 18.08.2021 के समन के तहत आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। इसलिए ईडी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पटियाला हाउस न्यायालय, नई दिल्ली के न्यायालय में उसके खिलाफ पीएमएलए की धारा 63 की सहपठित भा.दं.सं. की धारा 174 के तहत शिकायत दर्ज की थी। यह भी ध्यान देने योग्य है कि यद्यपि अपीलार्थी सं. 2 ने उच्च न्यायालय के समक्ष आप.वि.वा. सं. 2442/2021 दाखिल करके उक्त न्यायालय द्वारा उक्त शिकायत का संज्ञान लेते हुए पारित दिनांक 18.09.2021 के आदेश तथा उसे न्यायालय के समक्ष तलब करने के दिनांक 30.09.2021 के आदेश को चुनौती दी थी, परन्तु उसने वर्तमान अपीलों में उक्त आदेशों को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की भी जहमत नहीं उठाई। चूंकि उक्त शिकायत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के संबंधित न्यायालय के समक्ष लंबित है, इसलिए हम उक्त शिकायत के गुणागुण पर कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं। यह कहना पर्याप्त है कि हमें संबंधित न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेशों में कोई अवैधता नहीं दिखती है तथा उक्त शिकायत पर उक्त न्यायालय द्वारा कानून के अनुसार आगे कार्यवाही की जाएगी।

23. उपरोक्त कारणों से दोनों अपीलें गुणागुण रहित होने के कारण खारिज की जाती हैं।

मामले का परिणाम: अपील खारिज

*हेडनोट तैयार किया गया: निधि जैन

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose for all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.